तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 155/2019 (155/19)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.07.19 में उसके द्वारा (1) श्री राजेन्द्र कुमार डांगा उपखण्ड अधिकारी लूणी का पद ग्रहण दिनांक 06.05.19 को करने के पश्चात् कार्य आंवटन संबंधी आदेश की नियमानुसार प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 83 दिनांक 11.09.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि दिनांक 08.03.19 के पश्चात् कोई कार्य विभाजन का आदेश जारी नहीं किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी हेतु भामाशाह द्वारा वर्ष 2013–14 से 2019–2020 तक फर्नीचर, कुर्सिया, पंखे व अन्य सामान भेंट किये जाने की सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर को नहीं भिजवाई गई और न ही ऐसा कोई अभिलेख संधारण किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी के वर्ष 2018–19 के बिजली के बिलों की छाया प्रतियां संलग्न है तथा पानी का कोई .बिल आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनके कार्यालय से अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया गया या नहीं, अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 07 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	